न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 17/2012/223 आर टी ए

रोहताश पुत्र हरपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मु0 अनकौरी पत्नि रामकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं. 25 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. हरपाल पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रोशनी पत्नि दिवान जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. पार्वती पत्नि छोटूराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–– रेस्पोडेंटस

6. जगदीश पुत्र हरपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

––– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0सं0 262/2008 अनवानी रोहताश आदि बनाम अनकौरी आदि

उपस्थित :–

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व 4

श्री कुलदीप बैनीवान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–27.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा साबित न मानते हुए दावा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व पत्रावली पर वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खिलाफ है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी व जबानी साक्ष्य व कानूनी बिन्दू पर कोई गौर न करते हुए कतई नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। वादीगण/अपीलांट ने अपने जुम्मे तनकीयात को अपनी साक्ष्य से भलीभांति साबित की थी। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित थी तथा ऐसी सूरत मे उतरजीविता का सिद्धांत लागू होता है तथा पीढी दर पीढी आने वाली भूमि मे पिता जीवनकाल मे पुत्रो का हक होता है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम सन् 1956 की धारा 6 के अनुसार पिता के जीवनकाल मे पुत्रो का पैतृक सम्पति मे हक होता है तथा प्रतिवादी सं. 2 को अपने

हक से ज्यादा भूमि का बैयनामा करवाने का अधिकार नही था तथा हक से ज्यादा बैयनामा को राजस्व न्यायालय इग्नौर कर सकता है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 की खुद की पैदाकर्दा भूमि नही है। इसलिए विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 का 2/3 हिस्सा घोषित ना कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के यह माना कि वादीगण प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादिया सं. 1 को करवाये बैयनामा से सहमत थे कतई गलत आधार है। इसलिय बैयनामा को शून्य नही माना है जबकि हक से ज्यादा भूमि का बैयनामा प्रारम्भिक तौर से शून्य होता है। उसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का होता है। विचारण न्यायालय ने दावा अदालत के क्षेत्राधिकार मे ना मानकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानकर कतई गलत निर्णय किया है। वादीगण की मुख्य इस्तदुआ घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा की थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दफा 207 मे राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की थी। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है। अपीलांट का दावा मैनटेनेबल नही होने के कारण खारिज योग्य था तथा दावा राजस्व न्यायालय का नही बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का था। वादीगण का वादग्रस्त भूमि का कब्जा नही होने के कारण कब्जा के अभाव मे भी दावा चलने योग्य नही था। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ने विवादित भूमि का बैयनामा आपसी सहमति से पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उतरदाता को करवाया और सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर विवादित भूमि का कब्जा उसी समय सौंप दिया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अपीलांट की सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के पिता रेस्पो0 सं. 2 हरपाल के नाम दर्ज थी जिसे रेस्पो0 सं. 2 द्वारा एक कर्ता खानदान की हैसियत पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अपने पुत्र अपीलांट व रेस्पा0 सं. 6 की सहमति से रेस्पो. सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.07.08 को बैय कर दी थी तथा उक्त बैयनामा मे सहमति के तौर पर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 का नोट भी अंकित है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बैय की गई भूमि के संबंध मे

घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये यह उल्लेखित करते हुए खारिज कर दिया कि वाद वादीगण साबित नही होने के कारण तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने से काबिले खारिज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलांट के पिता हरपाल द्वारा करवाया गया बैयनामा पारिवारिक आवश्यकताओ हेतु था जो प्रारम्भतः शून्य ना होकर शून्यकरणीय है जिसके संबंध मे सक्षम सिविल न्यायालय मे चाराजोई की जा सकती है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद मे तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं आधार के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ